न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 249/2015
पंजीयन दिनांक 01.10.2015

(1). छीतर पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(2). संपत पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(3). पन्ना पिता जोधा जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(4). कजोड़ीबाई पुत्री जोधा जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). प्यारा पिता प्रताप जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(2). ऊंकार पिता प्रताप जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(3). एजन पिता जोधा पत्नी प्याराजाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी गोवता बांध तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
(4). शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(5). भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 18/2015 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.07.2015

उपस्थित वक्त बहस-(1). सत्यनारायण ईनाणी-अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). छोगालाल जाट- अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4- बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या–डिकी 238/2015
पंजीयन दिनांक 01.10.2015

(1). छीतर पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(2). संपत पिता घीसा जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(3). पन्ना पिता जोधा जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(4). कजोड़ीबाई पुत्री जोधा जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांटगण

बनाम

(1). प्यारा पिता प्रताप जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(2). ऊंकार पिता प्रताप जाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(3). एजन पिता जोधा पत्नी प्याराजाति धाकड़ निवासी कंवरपुरा तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ हाल निवासी गोवता बांध तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
(4). शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।
(5). भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 18/2015 अंतिम निर्णय एवं डिकी दिनांक 27.07.2015

उपस्थित वक्त बहस–(1). सत्यनारायण ईनाणी–अधिवक्ता अपीलांटगण
(2). छोगालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4– बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 5

निर्णय दिनांक 12.09.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कंवरपुरा तहसील बेगूँ की खाता संख्या 23 मे दर्ज कृषि आराजी संख्या 50, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 197, 209, 210, 219, 221, 222, 226/197 कुल किता 14 कुल रकबा 4.19 हैक्टेयर स्थित होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रेकॉर्ड है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 2/3 हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने निहित हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 एवं अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने से वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 एवं अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के मध्य आये दिन विवाद होता रहता है। जिससे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन किया जाना आवश्यक है। अन्त मे उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 व अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया ।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दिनांक 19.05.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उभय पक्षकारान के अनुपस्थित रहने व अपीलांटगण प्रतिवादीगण की सहमति नहीं होने से पत्रावली वास्ते जवाब नियत की गई। दिनांक 28.05.2015 को प्रतिवादी सख्या 1 से 7 को बावजूद सूचना अनुपस्थित होना बताकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया व पत्रावली वास्ते शहादत वादी नियत की गई जिसके लिए तारीख आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.06.2015 नियत की गई। पत्रावली वास्ते शहादत वादी नियत थी जिसके लिये आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.08.2015 नियत थी जिसे दिनांक 14.07.2015 को लोक अदालत कैम्प बेगूँ मे रखा जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा पक्षकारान के निहित हक हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तलब किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को आदेशित किया। उक्त फर्द

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

...ड़ा तलब किया गया। दिनांक 27.07.2015 को कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवाड़े को प्राथमिक डिक्री के अनुसार होना बताकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2015 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 5 ने प्रथम अपीले अलग-अलग इस न्यायायल मे प्रस्तुत की है।

अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री एक ही पत्रावली मे होकर दोनो अपीलों मे समान पक्षकार व समान विषयवस्तु होने से दोनो अपीलों मे एक साथ बहस सुनी जाकर एक ही निर्णय से निर्णित की जा रही है। निर्णय की एक-एक प्रति दोनो पत्रावलीयों मे संलग्न की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत बंटवाड़े का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांटगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण अपीलांटगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए । दिनांक 28.05.2015 को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 को बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होना बताकर एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। बिना साक्ष्य लिये व बिना तामील के उक्त पत्रावली दिनांक 03.08.2015 को नियत होते हुए बिना सूचना दिये दिनांक 15.07.2015 को लोक अदालत कैम्प बेगूँ मे रखी जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा पक्षकारान के निहित हक हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाने हेतु उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का फर्द बंटवाड़ा तलब किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को आदेशित किया गया। कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाड़ा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.07.2015 को उक्त फर्द बंटवाड़े को प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होना बताकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलांटगण प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है व उक्त पत्रावली मे बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित की है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे तहसीलदार बेगूँ को फर्द बंटवाड़े के लिए कमिश्नर नियुक्त किया गया है फिर भी तहसीलदार कमिश्नर स्वयं ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नही कर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से फर्द बंटवाड़ा तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2021 पार्ट-1 पेज 469 , आर.आर.टी. 2022 पार्ट-1 पेज 61, आर.आर.टी. 2022 पार्ट-1 पेज 135, आर.आर.टी. 2022 पार्ट-1 पेज 390 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादीगण की ओर से सहखातेदारी मे दर्ज कृषि आराजीयात जिसमे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 वादीगण का 2/3 हक व हिस्सा व अपीलांटगण प्रतिवादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हक व हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड है जो शामलाती मे दर्ज है जिसका पूर्व मे आपसी विभाजन होकर अलग-अलग काबिज होकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। उसी अनुसार बंटवाड़ा किये जाने का वादपत्र प्रस्तुत किया । उक्त वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दर्ज होकर प्रतिवादीगण के नोटिस जारी हुए। अपीलांटगण प्रतिवादीगण सम्मन नोटिस की पालना मे उपस्थित हुए जिनके आदेशिका पर हस्ताक्षर है। उसके पश्चात उपस्थित नहीं होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर लोक अदालत के तहत लोक अदालत की भावना से बंटवाड़े का प्रकरण होने से प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की। तत्पश्चात उक्त पत्रावली मे कमिश्नर के द्वारा फर्द बंटवाड़ा मुर्तिब किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रस्तुत किया गया। उक्त फर्द बंटवाड़े पर सुना जाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित बंटवाड़ा नियमों के अनुरूप होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपनी बहस मे अपीलांट प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीलें सारहीन होने व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अंतिम निर्णय व डिक्री विधिनुरूप होना बताकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपीलांट्गण प्रतिवादीगण के विरुद्ध बंटवाड़े का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली दिनांक 19.05.2015 को लोक अदालत कैम्प बरनियास मे नियत की गई जिसमे उभयपक्ष उपस्थित हुए। प्रकरण मे राजीनामे की कोई सहमति नहीं हुई जिससे पत्रावली जवाबदावा हेतु नियत की गई। उक्त पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.05.2015 को अपीलांट्गण प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से पत्रावली वास्ते शहादत वादी नियत की जाकर दिनांक 29.06.2015 नियत की गई। दिनांक 29.06.2015 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य मे व्यस्त होना बताते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.08.2015 नियत की गई। नियत दिनांक से पूर्व उक्त पत्रावली को दिनांक 14.07.2015 को बिना पक्षकारान को सूचित किये व बिना किसी लिखित राजीनामे के अपरिपक्व पत्रावली मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की गई है। साथ ही तहसीलदार बेगूँ को प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसमे तहसीलदार बेगूँ ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसमे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा कृषि आराजीयात के विभाजन के संबंध मे जो नियम बनाये गए है, उक्त नियमों की पालना होना नहीं पाया जाने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण की ओर से प्राथमिक निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 249/2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत अपील क्रमांक डिक्री 238/2015 स्वीकार योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

स्वरूप अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से प्रस्तुत अपीलें अपील कमांक डिकी 249/2015 एवं अपील कमांक डिकी 238/2015 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ प्रकरण संख्या 18/2015 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 14.07.2015 व अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 27.07.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण को जवाबदावे का समुचित अवसर प्रदान कर, उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर, गुणावगुण पर प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित करे तदुपरान्त कमिश्नर के द्वारा बंटवाड़ा नियम 18 से 21 के मुताबिक बंटवाड़ा प्रस्ताव तलब किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर अंतिम निर्णय व डिकी पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 06.10.2022 को सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)